

28/3/23

पत्रावली चेष्ट दुर्ग) कमुलाप लीसेन  
उपस्थित। अत्रार्थ संख्या 1, 2 की  
ओर के श्री प्रीत लेन अथ।  
उपस्थित। अत्रार्थ संख्या 1 का  
गठान देय दुर्ग। अखिलम  
अत्रार्थ संख्या 2 की ओर के  
अखिलम ने निवेदन दिया  
कि अत्रार्थ संख्या 1 का गठान  
ही अत्रार्थ संख्या 2 का  
बंद गाने। अत्र अत्रार्थ  
के विषय अखिलम ने  
कहते हैं निवेदन दिया गया  
अत्रार्थ संख्या की ओर के अत्रार्थ  
चेष्ट दिया गया। पत्रावली का  
द्वितीय अत्रार्थ अत्रार्थ दिया  
गया। अत्र पत्र अत्रार्थ दिया  
गया।

पत्रावली के अत्रार्थ से अत्रार्थ  
है कि अत्रार्थ अत्रार्थ अत्रार्थ



(सुनील कुमार चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी अत्रार्थ  
जिला अत्रार्थ (राज.)

885/142 रकबा 0.48 ई० शक्ति  
 वाली व परिवार संख्या 365  
 के लिए के नाम दर्ज रेकर्ड है।  
 अपार्क सं. 1.6 हाव पाइल 000  
 के अपार्ट है कि मूल नं. 142  
 रकबा 1.35 ई० का ~~परिवार~~  
~~संख्या~~ सं. 1995 के परिवार  
 संख्या के पुत्र है। (किताब नं. 149)  
 भी दर्ज किया गया था ख० नं  
 885/142 रकबा 0.48 ई० वाली व  
 परिवार सं. 365 के लिए  
 प्रस्ताव के नाम दर्ज रेकर्ड  
 है।

अतः वाद वर्णित शक्ति  
 नं. 885/142 रकबा 0.48 ई०  
 में अपार्क सं. 1.6 का  
 वाद पाइल किया जाता है कि  
 किसी प्रकार का निर्माण कार्य  
 नहीं करे। तथा अपार्क को पाइल  
 किया जाता है कि अपनी अवस्था  
 शक्ति नं. 885/142 का  
 15 दिनों में सीमाशाग हो

(सुनील कुमार चौहान)  
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
 जिला मुन्बान (राज.)

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहवाल हुक्म</p>
------------------------	---	----------------------------------

निम्नानुसार आवेदन का तदनीला  
 बुधवार के पक्ष प्रस्तुत करें। तथा  
 तदनीला बुधवार के दोपहर  
 पाठ्य किया जाय है कि प्रत्येक  
 कार्य सीमाशाम आवेदन पर  
 प्रस्तुत करने पर 15 दिनों में  
 सीमाशाम करें।

दस्तावेजों के माध्यम से  
 नम्बर के माध्यम से प्रमाणित  
 प्रमाणित करें।

दस्तावेजों के माध्यम से

(सुधील कुमार चौधरी)  
 उपखण्ड अधिकारी बुधवार  
 जिला सुन्सुनू (राज.)